राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

मुख्य भवन ब्लॉक–5 एवं एकलव्य भवन

उपायुक्त (प्रशिक्षण एवं क्वालिटी) कार्यालय–मुख्य भवन ब्लॉक–6, प्रथम तल,

डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

फोन –0141–2706069

rajssaquality@gmail.com

क्रमांकः–रा.स्कू.शि.प. / जय / गुणवत्ता / MSRA / 00150 / 2025–26 / 1423

दिनांक 25/8/25

मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान–"प्रखर राजस्थान 2.0"

90 दिवसीय कार्ययोजना दिशा-निर्देश 2025–26

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अभिशंषाओं के क्रम में प्रारम्भिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने को प्रमुख रूप से रेखांकित किया गया है। इस हेतु स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार द्वारा ***05 जुलाई 2021*** को निपुण भारत मिशन प्रारम्भ किया गया। निपुण भारत मिशन बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया है। इसके तहत् 3 से 8 वर्ष आयु वर्ग के सभी विद्यार्थियों को बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रारम्भिक स्तर पर यह आवश्यक हो जाता है कि विद्यार्थी भाषा को स्तरानुसार धारा प्रवाह एवं समझ के साथ पठन करने में सक्षम हो।

शाला सम्बलन एवं एआई आधारित ओआरएफ (Oral Reading Fluency) आकलन के दौरान यह देखने में आया है कि कुछ विद्यार्थी कक्षा स्तरानुसार भाषा पढ़ने में समर्थ नहीं है उन्हें स्वतंत्र रूप से पठन करने में कठिनाई महसूस होती है। बुनियादी शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के लिए भविष्य के सीखने का आधार है। समझ के साथ पढ़ने, लिखने बुनियादी अवधारणाओं को समझने और सीखने में सक्षम होने के बुनियादी कौशल को प्राप्त नहीं करने से विद्यार्थी कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के पाठ्यक्रम की जटिलताओं के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं।

प्रारंभिक स्तर पर विद्यार्थियों के पठन कौशलों के विकास हेतु 90 दिवसीय कार्ययोजना में ***5 सितम्बर, 2025*** से नियमित रूप से कार्य प्रारंभ करते हुए विद्यार्थियों में धाराप्रवाह पठन कौशलों का विकास किया जाना है। यह शिक्षण कार्य क्रमबद्ध रूप से 12 सप्ताह तक आयोजित किया जाना है। इस मिशन को मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान– **"प्रखर राजस्थान 2.0"** के नाम से परिभाषित किया गया है।

1. पढ़ना क्यों जरूरी है ?

पढ़ना सीखने का आधार है, जो विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। रचनात्मकता, समालोचनात्मक सोच, शब्दावली विकास, मौखिक और लिखित भाषा में व्यक्त करने की क्षमता विकसित करता है। यह विद्यार्थियों को उनके परिवेश और वास्तविक जीवन की स्थिति से जोड़ने में मदद करता है। इस प्रकार, एक सक्षम वातावरण बनाने की आवश्यकता है जिसमें विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ें और अपने कौशल को एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से विकसित करे जो आनंददायक एवं स्थायी हो और जो जीवन भर उनके साथ रहे। यह भाषा और लेखन कौशल पर नियंत्रण विकसित करने की दिशा में एक कदम है। बोलने के विपरीत, पढ़ना एक ऐसा कौशल है जो इंसानों को स्वाभाविक रूप से नहीं आता है और इसे सीखने की आवश्यकता होती है। इसके लिए निरंतर अभ्यास, विकास और शोध की आवश्यकता होती है।

प्रारंभिक चरण में पढ़ने में वर्णमाला ज्ञान, नामों और ध्वनियों की पहचान करना (जिसमें बोली जाने वाली भाषा को पहचानने, समझने या विश्लेषण करने में सक्षम होना), लिखना, शब्दावली विकास, याद रखने और समझने के लिए

राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ मनोज मीना

RajKaj Ref No.:
17248131
eSign DSC

बोली जाने वाली भाषा की सामग्री शामिल है। साथ ही इसमें प्रिंट जागरुकता उदाहरण के लिए बाएं से दाएं पढ़ना, देखकर चित्रों/प्रतीकों से मेल या भेद करने की क्षमता शामिल है।पठन कौशल अवधारणाएं जिनमें लिखित या मुद्रित सामग्री का उपयोग पढ़ना सीखने सिखाने में उपयोग बहुत मदद कर सकता है. इसका सही और अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए।

2. पढ़ना,समझना और लिखना

विद्यार्थी अपने चारों ओर लिखित सामग्री पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे बिस्कुट और टॉफी के रैपर, सड़क के किनारे लगे पोस्टर विज्ञापन, दीवार पर लिखे नारे, विज्ञापन, समाचार पत्र, घर और विद्यालय में उपलब्ध कहानी की पुस्तकें, पत्र/पोस्टकार्ड इत्यादि। जैसे ही विद्यार्थी कलम, पैन्सिल, चॉक को पकड़ना शुरू करते हैं,वे लिखना शुरू कर देते हैं और उनमें कुछ अर्थ या संदेश जोड़ने की कोशिश करते हैं यह भी लेखन की शुरुआत का एक हिस्सा है। वास्तव में पढ़ने और लिखने की अनुभूति भी दिन–प्रतिदिन के सार्थक और व्यावहारिक संदर्भो में मौखिक भाषा के विकास की तरह विकसित होती है।

3. उद्देश्य :

3.1 विद्यार्थियों में पठन कौशल की प्रभावशीलता विकसित करना।
3.2 निश्चित समयावधि में समझ के साथ पढ़ने की संस्कृति विकसित करना।
3.3 पठन कौशल के अनुकूल वातावरण का निर्माण करना।
3.4 पुस्तकालय की पुस्तकों के अधिकतम उपयोग हेतु अवसर प्रदान करना।
3.5 स्थानीय परिवेश की कहानियों, कविताओं को कक्षा कक्षीय गतिविधियों में शामिल करना।
3.6 गतिविधि आधारित अधिगम (ABL) Kit सामग्री का प्रभावी उपयोग करना।

4. लक्षित समूह– कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थी, जिन्हें –

- **वर्ग 1**– विद्यार्थी जिन्हें अक्षरों, मात्राओं को पहचानने में कठिनाई आती है।
- **वर्ग 2**– विद्यार्थी जिन्हें शब्द पढ़ने में कठिनाई आ रही है।
- **वर्ग 3**– विद्यार्थी जो वाक्यों/सरल पाठों को अटक–अटक कर पढ़ते है।

वर्ग – 1 से 3 के विद्यार्थियों के साथ 90 दिवसीय कार्ययोजना अन्तर्गत पठन कौशलों के विकास हेतु कार्य किया जाना है।

5. समयावधि – ***5 सितम्बर से 5 दिसम्बर 2025 (90 दिवस) प्रति दिवस 2 कालांश अवधि।***

6. सहायक सामग्री – बाल साहित्य की पुस्तकें, एबीएल किट, कार्यपुस्तिकाएं, भाषा की पुस्तकें, स्थानीय परिवेश में उपलब्ध शिक्षण अधिगम सहयोगी सामग्री एवं स्वनिर्मित सामग्री।

7. "पठन कौशल" कार्यक्रम क्या और क्यों ? :

7.1 बच्चों में पढ़ने व लिखने की मूलभूत क्षमताओं को विकसित करते हुए अपनी कक्षा के स्तरानुरूप लाने का एक सुनियोजित प्रयास है। कक्षा 3 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 के वे विद्यार्थी जिन्हें भाषा को पढ़ने व समझने में कठिनाई होती है, के लिए पठन कौशल की प्रवाहशीलता, विकसित करने हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है।

7.2 शाला संबलन/अवलोकन एवं एआई आधारित ओआरएफ (Oral Reading Fluency) आकलन के दौरान यह देखने में आया है कि कक्षा 3 से 8 के कुछ विद्यार्थियों में पठन कौशल की प्रवाहशीलता स्तरानुरूप नहीं है। अतः इस हेतु 90 दिवस की लक्षित कार्ययोजना के तहत् पठन कौशल को विकसित कर स्तरानुरूप लाने का प्रयास किया जाना है।

7.3 कक्षा 3 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 के लिए 90 दिवसीय शिक्षण कार्ययोजना के माध्यम से विभिन्न लक्षित समूहों को निम्नानुसार अपेक्षित अधिगम स्तर तक पहुंचाना है –

लक्षित समूह	अपेक्षित अधिगम लक्ष्य
विद्यार्थी जिन्हें अक्षरों, मात्राओं को पहचानने में कठिनाई आ रही है।	4–5 शब्दों वाले वाक्यों को पढ़ पाते हैं।
शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है।	सरल पाठों / छोटी कहानियों को समझ के साथ पढ़ पाते हैं।
वाक्यों एवं पाठों को अटक–अटक के पढ़ते हैं।	सरल पाठों / कहानियों को उचित गति, हावभाव एवं समझ के साथ पढ़ पाते हैं।

नोट – चूंकि कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों का मौखिक भाषा स्तर एवं संज्ञानात्मक ज्ञान कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों की तुलना अधिक होता है। अतः ये संभावना है कि ये विद्यार्थी अधिगम लक्ष्यों को पहले प्राप्त कर कार्य पुस्तिकाओं, विषयवार एवं कक्षा आधारित शिक्षण में जुड़ सकते हैं।

8. विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत का विकास कैसे करें ?

8.1 विभिन्न प्रकार की सरल और रूचिकर कहानी की पुस्तकों, कॉमिक्स और चुटकुलों की पुस्तकों की उपलब्धता और पहुंच बच्चों तक हो, जिन्हें आकर्षक चित्रों और विद्यार्थियों की कक्षाओं में के साथ चित्रित किया गया है।

8.2 विद्यार्थियों को नियमित आधार पर निर्धारित समय और कक्षा में पढ़ने के लिए एक अनुकूल माहौल और स्थान प्रदान करने की आवश्यकता है। इसके लिए विद्यालय स्तर पर कक्षा में रीडिंग कॉर्नर का निर्माण किया जाए।

8.3 विद्यार्थियों के साथ पठन गतिविधियाँ जैसे मुखर वाचन, साझा पठन, कहानी को जोड़ों में पढ़ना, उनके द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों पर चर्चा, कहानी पर अभिनय निभाना, शब्द खेल आदि, पुस्तकों के साथ उनकी भागीदारी बढ़ाने और पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए बहुत आवश्यक है।

8.4 कक्षा 3 से 5 एवं 6 से 8 के वे विद्यार्थी जिन्हें पढ़ने की कुछ समझ है, के साथ पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग करते हुए धाराप्रवाह पठन क्षमता विकसित किये जाने का कार्य किया जाए।

9. <u>90 दिवसीय कार्ययोजना संचालन के मुख्य बिन्दु</u> :

- इस कार्यक्रम अन्तर्गत वे विद्यार्थी जिन्हें अक्षर / शब्द पहचानने, पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है या अटक–अटक कर पढ़ते हैं के साथ सघन रूप से गतिविधियां कराते हुए पठन कौशलों का विकास किया जाना है।
- विद्यालय स्तर पर प्रति कार्य दिवस दो कालांश भाषा पठन की प्रवाहशीलता की समझ के लिए पृथक से विद्यालय समय सारणी में निर्धारित किए जाए। शेष 6 कालांश में कक्षा शिक्षण कराया जाए।
- पठन कौशलों के विकास हेतु साप्ताहिक शिक्षण कार्ययोजना के अनुसार गतिविधियों का नियोजन किया जाए।
- ***90 दिवसीय गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 12 सप्ताह का प्लान तैयार कर संलग्न है।*** उक्त प्लान के अनुसार गतिविधियों का संचालन कक्षा कक्ष में किया जाये।
- पठन की प्रभावशीलता के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विषय आधारित एबीएल सामग्री का उपयोग करते हुए वीडियो निर्माण किये जा रहे है, जो समय–समय पर विभागीय सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

10. ORF आकलन के आधार पर समूह निर्माण –AI आधार ORF के आधार पर विद्यार्थियों का पठन कौशलों के अनुसार डाटा बेस एप के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जायेगा। जिसमें विद्यार्थियों को शैक्षिक प्रदर्शन के आधार पर 4 भागों में विभक्त किया गया है।

- **वर्ग 1**– विद्यार्थी जिन्हें अक्षरों, मात्राओं को पहचानने में कठिनाई आती है।
- **वर्ग 2**–विद्यार्थी जिन्हें शब्द पढ़ने में कठिनाई आ रही है।
- **वर्ग 3**–विद्यार्थी जो वाक्यों/सरल पाठों को अटक–अटक कर पढ़ते है।
- **वर्ग 4**– विद्यार्थी जो सरल/पाठों कहानियों को धाराप्रवाह एवं समझ के साथ पढ़ पाते हैं। वर्ग 4 के विद्यार्थियों के साथ पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग कर उच्च स्तरीय कौशलों का विकास किया जाना है।

11. विशेष निर्देश –

1. कक्षा 3 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 हेतु पृथक–पृथक कक्षा शिक्षण तय कालांश में संचालित किया जाए तथा पृथक–पृथक प्रभारी नामित किए जाए।
2. पठन कौशलों की प्रवाहशीलता के लिए अनिवार्यतः भाषा शिक्षक को प्रभारी नामित करते हुए कार्य कराया जाए।
3. प्रभारी शिक्षक द्वारा समूह निर्माण करने के पश्चात् समूहवार विद्यार्थियों के विवरण हेतु पृथक से पंजिका का संधारण किया जाए।
4. ***कक्षा–कक्षीय गतिविधियों के साप्ताहिक क्रियान्वयन हेतु 12 सप्ताह के प्लान संलग्न किये गये हैं।*** इसके अनुसार कक्षा–कक्ष में गतिविधियों का नियोजन किया जाए। शिक्षक स्थानीय परिवेश की विविधता, विद्यार्थियों की आवश्यकता, सीखने के स्तर के अनुसार गतिविधियों में आंशिक बदलाव करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।
5. विद्यार्थियों में पठन कौशलों के विकास हेतु कार्य प्रारंभ करने के समय पूर्व में किये गए कार्यों की पुनरावृत्ति के साथ सप्ताह की शुरूआत करें। जिससे नवीन विषय एवं तथ्यों के साथ विद्यार्थियों को आसानी से सह–संयोजित किया जा सकें।
6. विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार प्रारंभ में 3–4 लक्षित वर्णों का चयन कर कार्य प्रारंभ किया जाए। जिसमें वर्णों, मात्राओं की पहचान के साथ–साथ सरल शब्द निर्माण कर पठन हेतु प्रयास प्रारंभ करें।
7. पठन कौशलों के विकास हेतु वर्ण पहचान, वर्ण के साथ मात्राओं का संयोजन, बिना मात्रा के शब्द पढ़ना, मात्रा के शब्दों का पढ़ना, तत्पश्चात वाक्यों को प्रवाह के साथ पढ़ते हुए समझ विकसित करने का कार्य किया जाए।
8. शिक्षक 2 से 3 सप्ताह के शिक्षण उपरांत सिखाये गये वर्ण, मात्राओं से छोटी–छोटी कहानी/पाठ का निर्माण कर बच्चों को पठन अभ्यास के अवसर दें।
9. कार्यक्रम हेतु विद्यार्थियों के लिए उत्सुकता और उत्साह का माहौल निर्माण कर प्रति दिवस गतिविधियों का संचालन किया जाना है।
10. पठन कौशलों के विकास के लिए मौखिक एवं लिखित दोनों प्रकार की गतिविधियां विद्यार्थियों के स्तर एवं सहभागिता के अनुसार आयोजित की जाए।
11. पठन कौशलों के विकास हेतु पुस्तकालय की बालसाहित्य की पुस्तकों का उपयोग करते हुए गतिविधियों का नियोजन किया जाना है।
12. कक्षा कक्षीय गतिविधियों में बेहत्तर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को नियमित रूप से प्रोत्साहित किया जाए।
13. पठन कौशलों के विकास हेतु विद्यार्थियों की पीयर ग्रुप लर्निंग के माध्यम से भी गतिविधियां कराते हुए कौशलों के विकास का कार्य किया जाए। इसके अन्तर्गत अधिक समझ रखने वाले विद्यार्थी की मैपिंग अन्य विद्यार्थियों के साथ रखते हुए सीखने–सिखाने के लिए प्रेरित किया जाए।

14. पठन कौशलों के विकास के लिए विद्यार्थियों के स्तरानुसार एबीएल सामग्री यथा – वर्ण कार्ड, मात्रा कार्ड, शब्द कार्ड, वाक्य लेखन, कविता, कहानी से संबंधित कार्ड का उपयोग साप्ताहिक कार्ययोजना के अनुसार करते हुए गतिविधियां आयोजित की जाए।
15. ***विद्यार्थियों के उच्चारण को प्रभावी बनाने के लिए 15 दिवस में या माह में एक से दो दिन डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर अभ्यास कराया जाए।*** जैसे – अपने फोन से बच्चों की धाराप्रवाह गति को मापना एवं आवश्यकतानुसार समूहों में अभ्यास के मौके देना।
16. शिक्षक पठन विकास के लक्षित विद्यार्थियों की कक्षा–कक्ष में आवश्यकता के अनुसार एवं गतिविधि अनुसार परिवर्तित करते हुए बैठक व्यवस्था (गोलाकार, अर्द्ध गोले में, पंक्ति में या अन्य आकार में)नियोजितकरें।
17. विद्यार्थियों के पठन कौशल की प्रवाहशीलता एवं समझ के विकास हेतु शिक्षक, माता–पिता एवं समाज के स्वयं सेवकों (Volunteer) की मदद से गतिविधियां संचालित की जानी है।
18. नो बैग डे के तहत् थीम आधारित विशेष प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से लक्षित विद्यार्थियों पर फोकस किया जाए। ''(भाषाई समझ से अभिव्यक्ति की ओर)

12. पठन कौशल कार्यक्रम के क्रियान्वयन के प्रमुख चरण :

क्र.क्र.स	अपेक्षित कार्य	संभावित समयावधि	उत्तरदायित्व
1	अभियान का शुभारंभ	***5 सितम्बर 2025***	निदेशालय माध्यमिक, प्रारंभिक एवं समग्र शिक्षा,
2	पीईईओ/यूसीईईओ एवं सीबीईईओ का आमुखीकरण (ऑनलाइन)	***1 सितम्बर 2025***	समग्र शिक्षा
3	कलस्टर स्तर पर शिक्षकों का आमुखीकरण	***2–3 सितम्बर 2025***	जिला, ब्लॉक समग्र शिक्षा कार्यालय
4	विद्यालय स्तर पर मेगा पीटीएम का आयोजन।	***8 सितम्बर 2025***	विद्यालय स्तर
5	राष्ट्रीय एकता दिवस/नैतिक शिक्षा दिवस	***31 अक्टूबर 2025***	विद्यालय स्तर
6	''पठन कौशल '' की गतिविधियों का क्रियान्वयन	***5 सितम्बर से 5 दिसम्बर 2025***	विद्यालय स्तर
7	बाल अधिकार दिवस/कहानी मेला – शिक्षक और समुदाय द्वारा विद्यार्थियों को कहानी सुनाना।	***20 नवम्बर 2025***	विद्यालय स्तर
8	निपुण मेला परिषद द्वारा जारी दिशा–निर्देश दिनांक ...... के अनुसार गतिविधियों का नियोजन करना	***5 दिसम्बर 2025***	विद्यालय स्तर

मेगा पीटीएम का आयोजन – *8 सितम्बर 2025* को अभिभावकों के साथ मेगा पीटीएम का आयोजन किया जाए जिसमें मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान अन्तर्गत पठन कौशल विकास हेतु आयोजित 90 दिवसीय कार्यक्रम की विस्तार से चर्चा की जाए तथा विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर की भी चर्चा की जाए। मेगा पीटीएम के दौरान विद्यार्थियों के पठन कौशल विकास हेतु अभिभावकों के सहयोग से आयोजित की जाने वाली गतिविधियों एवं उनके क्रियान्वयन में सक्रिय सहभागीता के लिए प्रेरित किया जाए। पीटीएम में विद्यालय में उपलब्ध सहायक शिक्षक सामग्री यथा एबीएल 1–2, 3–5, आर्ट किट, अभिव्यक्ति पुस्तिका, वर्कबुक एवं अन्य उपलब्ध सामग्री का प्रस्तुतीकरण किया जायेगा।

राष्ट्रीय एकता दिवस/नैतिक शिक्षा दिवस – *31 अक्टूबर* का दिवस विद्यार्थियों में नैतिक एवं संस्कारों के विकास हेतु नैतिक शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाए जिसमें पुस्तकालय की नैतिक शिक्षा की किताबों से छोटी–छोटी कहानियां

पढने का दी जाए तथा शिक्षक, अभिभावकों, विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा से जुडी हुई कहानियां सुनाने के लिए प्रेरित किया जाए। अच्छे संस्कारों के विकास के लिए गतिविधियों का नियोजन किया जाए।

बाल अधिकार / कहानी मेला दिवस –

- ***20 नवम्बर 2025*** के दिवस को कहानी मेला दिवस के रूप में मनाया जाए। जिसमें स्थानीय परिवेश से जुडी हुई कहानियां विद्यार्थियों को दादा–दादी, नाना–नानी के द्वारा सुनाई जाए। अभिभावकों को भी कहानी सुनाने के लिए आमंत्रित किया जाए।
- बच्चों को चित्र देखकर कहानी सुनाने के लिए प्रेरित किया जाए। अधुरी कहानी पूरी करो के माध्यम से कहानियां सुनाई जाए।

निपुण मेला – *परिषद के पत्रांक 15583964 दिनांक 30.05.2025* के दिशा–निर्देशानुसार गतिविधियों का आयोजन करते हुए निपुण मेले के साथ पठन कौशल अभियान को पूर्ण किया जाए। निपुण मेले का आयोजन पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों में अंकित आयोजन तिथि को ***20 नवम्बर 2025 के स्थान पर 5 दिसम्बर 2025*** को किया जाना है।

13. दायित्व एवं भूमिकाएँ :

1. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् :

- कार्यक्रम के लिए व्यापक राज्य–स्तरीय कार्य योजनानुसार मॉनिटरिंग संपादित करना।
- जिला, ब्लॉक, पीईईओ / यूसीईईओ का आमुखीकरण एवं विद्यालयों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना।
- कार्यक्रम की प्रगति और प्रभावशीलता का आकलन के लिए परिषद स्तरीय अधिकारियों द्वारा नियमित सम्बलन प्रदान करना।
- कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कराना।

2. निदेशालय प्रारम्भिक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर :

- रास्कूलशिप द्वारा विकसित राज्य स्तरीय कार्य योजना अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन में सहयोग प्रदान करना।
- संयुक्त निदेशक,मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,जिला शिक्षा अधिकारी,डाइट कार्यालयों को आवश्यकतानुसार निर्देश जारी करना।
- संभाग, जिला स्तरीय कार्यालयों से समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम के क्रियान्वयन की सघन मॉनिटरिंग करना।
- कार्यक्रम की प्रगति और प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए अधिकारियों द्वारा नियमित सम्बलन प्रदान कराना।
- राज्य में पठन कौशल की प्रवाहशीलता एवं पठन की समझ हेतु किए जा रहें श्रेष्ठ प्रयासो का दस्तावेजीकरण कराना।

3. आरएससीईआरटी उदयपुर :

- प्राचार्य डाइट एवं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिलों से समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करना।
- डाइट अन्तर्गत छात्राध्यापकों (डीएलएड छात्र)को विद्यालयों में जाकर विद्यार्थियों के धारा प्रवाह पठन हेतु कार्य कराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए डाइट प्राचार्यों को निर्देशित करना।
- डाइट फैकल्टी को विद्यालय अवलोकन कर कार्यक्रम की मॉनिटरिंग हेतु निर्देशित करना।

4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय (जिला स्तरीय) :

- परिक्षेत्र के विद्यालयों तक आवश्यक दिशा–निर्देशों की पहुँच सुनिश्चित करना।
- ब्लॉक कार्यालयों से समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रभावी मॉनिटरिंग करना।

- कार्यक्रम की प्रगति और प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए नियमित विद्यालय भ्रमण कर सम्बलन प्रदान करना।
- विद्यार्थियों के पठन की प्रभावशीलता की प्रगति का विश्लेषण करना।
- कार्यक्रम की प्रगति की रिपोर्ट समय–समय पर राज्य कार्यालय को प्रेषित करना।
- श्रेष्ठ प्रयासों का दस्तावेजीकरण करना।

5. जिला शिक्षक एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) :

- पठन कौशल की प्रवाहशीलता हेतु सुलभ संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराना।
- स्थानीय भाषा में विकसित संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराना।
- विद्यालय अवलोकन एवं संबलन के दौरान पठन कौशलों, गणितीय संक्रियाओं की समझ के विकास हेतु रोल मॉडल प्रस्तुत करना।
- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक से समन्वय स्थापित कर विद्यालय अवलोकन कराना।

6. ब्लॉक स्तरीय कार्य एवं दायित्व :

- परिक्षेत्र के विद्यालयों तक आवश्यक दिशा–निर्देश की पहुँच सुनिश्चित करना।
- कार्यक्रम सम्बंधित गतिविधियों के क्रियान्वयन में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- CWSNविद्यार्थियों को ब्लॉक संदर्भ केन्द्रों के माध्यम से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के कार्यक्रम के दौरान पठन कार्य हेतु प्रोत्साहित करने के लिये निर्देश प्रसारित करें।
- विद्यालयों का नियमित भ्रमण कर गतिविधियों की मॉनिटरिंग करना एवं आवश्यक संबलन प्रदान करना।
- विद्यालयों से रिपोर्ट एकत्र करते हुए प्रगति का विश्लेषण करना एवं जिला कार्यालय को समेकित रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत करना।
- श्रेष्ठ प्रयास का दस्तावेजीकरण करना।

7. पीईईओ / यूसीईईओ, विद्यालय स्तर के कार्य एवं दायित्व :

- विद्यार्थियों में पठन कौशलों के विकास हेतु नियमित रूप से गतिविधियों का आयोजन करना।
- दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को विशेष रूप से पठन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए गतिविधियाँ नियोजित कराना।
- विद्यार्थियों को स्तर के अनुसार पठन सामग्री / पुस्तकें उपलब्ध कराना।
- अभिभावक और समुदाय के सदस्यों को घर और समुदाय में पढ़ाई के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने और उसका समर्थन करने के लिए विभिन्न हितधारकों, गैर सरकारी संगठनों, अभिभावकों के साथ पढ़ने को बढ़ावा देना।
- विद्यार्थियों को स्थानीय भाषा में पढ़ने एवं कहानी सुनने हेतु अवसर प्रदान करना।
- शिक्षकों से लगातार संवाद कर विद्यार्थियों की नियमित मॉनिटरिंग एवं आवश्यक संबलन प्रदान करना।

8. विद्यालय स्तरीय कार्य एवं दायित्व :

- शिक्षक सक्रिय रूप से अपनी दैनिक कक्षाओं में पठन एवं संक्रियाओं से संबंधित गतिविधियों को शामिल करें, यह सुनिश्चित करना।
- विद्यार्थियों को विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं, पढ़ने तथा मनोरंजक गतिविधियों में भाग लेने के अवसर प्रदान करना।
- कहानी सुनाने,पठन प्रतियोगिताओ और समूह पठन जैसी मजेदार इंटरैक्टिव गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को पठन के लिए प्रेरित करना।

- गतिविधि आधारित अधिगम (ABL) Kit सामग्री, कार्यपुस्तिकाओं आदि का प्रभावी उपयोग करना।
- विद्यार्थियों को पुस्तकें घर ले जाने और अपने परिवार के साथ पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना।
- अभिभावकों को पठन सत्रों में आमंत्रित कर और उन्हें घर पर अपने बच्चों की पढ़ाई में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर अभियान में शामिल करना।
- छात्रों की पठन प्रगति की नियमित रूप से मॉनिटरिंग कर रिकॉर्ड संधारण करना।
- प्रगति और चुनौतियों के बारे में पंचायत/ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को रिपोर्ट करना और आवश्यकतानुसार सहयोग प्राप्त करना।
- शिविरा पंचाग/निर्देशानुसार AI Based Oral Reading Fluency Assessment का संचालन करना।

9. **गैर सरकारी संगठनों के कार्य एवं दायित्व :**

- गैर सरकारी संगठनों द्वारा कार्यक्रम के लिए राज्य स्तर से विकसित कार्ययोजना के क्रियान्वयन में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- गैर सरकारी संगठनों द्वारा निर्धारित कार्यक्षेत्र में संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा विद्यालयों में उपस्थित होकर कार्यक्रम सम्बन्धित गतिविधियों को संचालित करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- प्राचार्य डाइट एवं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिलों से समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- प्रति जिला दो श्रेष्ठ प्रयासों का दस्तावेजीकरण करना।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(सीताराम जाट)
निदेशक माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा एवं पदेन
अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान (SMSA)

(अनुपमा जोरवाल)
राज्य परियोजना निदेशक एवं
आयुक्त

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक प्रारंभिक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
4. निदेशक पुस्तकालय एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार।
5. निदेशक संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक आरएससीईआरटी, उदयपुर।
7. अति. राज्य परियोजना निदेशक– प्रथम एवं द्वितीय राज. स्कूल शि. परिषद्, जयपुर।
8. समस्त उपायुक्त, राज. स्कूल शि. परिषद्, जयपुर।
9. उपायुक्त मीडिया, आरईआई एवं सामुदायिक गतिशीलता, रास्कूलशिप जयपुर।
10. उपायुक्त शाला दर्पण, रास्कूलशिप, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग।
12. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, राज. स्कूल शि. परिषद्, जयपुर।
13. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिलें।
14. समस्त डाइट प्राचार्य।
15. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
16. प्रोग्रामर, रास्कूलशिप, जयपुर दिशा निर्देश को पोर्टल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
17. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
18. समस्त पीईईओ/यूसीईईओ।
19. कार्यालय प्रति।

RajKaj Ref No.:
17248131
eSign DSC

मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान– पठन कौशल विकास(रीडिंग कैम्पेन)

अवलोकन प्रपत्र

- अवलोकनकर्ता का नाम...मो.न. ....पद.................................
- पदस्थापन स्थान..अवलोकन दिनांक ....
- अवलोकित विद्यालय का नाम...ब्लॉक..................................जिला...................................
- संस्थाप्रधान का नाम ....मो.न. ....
- पूर्व अवलोकन कर्ता का नाम ....पूर्व अवलोकन की दिनांक..
- अवलोकनकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना की स्थिति–........................(पूर्ण/आंशिक/बिलकुल नहीं)
- कक्षा 3 से 8 में लक्षित समूह के कुल विद्यार्थी ....उपस्थिति कुल विद्यार्थी...............................
- कक्षा 1 से 8 में पढानें वाले शिक्षकों की संख्या..............................उपस्थित शिक्षकों की संख्या.............................

1	क्या संस्थाप्रधान एवं शिक्षकों को रीडिंग कैम्पेन की अवधारणात्मक समझ है।	(हाँ/नहीं)	
2	पीईईओ/यूसीईईओ द्वारा परिक्षेत्र के शिक्षकों का आमुखीकरण किया गया है?	(हाँ/नहीं)	
3	कलस्टर स्तर पर आमुखीकरण में भाग लेने वाले शिक्षकों की संख्या लिखें	....	
4	लक्षित विद्यार्थियों के संबलन हेतु पीयर ग्रुप लर्निंग का उपयोग किया जा रहा हैं।	(हाँ/नहीं)	
5	लक्षित विद्यार्थियों के उच्चारण को प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग सुनिश्चित किया गया है।	(हाँ/नहीं)	
6	नो बैग डे के तहत ''भाषायी समझ से अभिव्यक्ति की ओर'' थीम पर लक्षित विद्यार्थियों पर फोकस हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।	(हाँ/नहीं)	
7	पठन कौशल विकास के लिए मौखिक एवं लिखित दोनों गतिविधियों का आयोजन शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है।	(हाँ/नहीं)	
8	लक्षित विद्यार्थियों के लिए मनोरंजक गतिविधियां, कहानी सुनाना, समूह पठन प्रतियोगिता आदि आयोजित कर आनन्ददायी वातावरण सृजित किया गया है।	(हाँ/नहीं)	
9	संस्थाप्रधान द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन हेतु हितधारकों का समर्थन लिया गया है।	(हाँ/नहीं)	
10	विद्यालय स्तर पर मेगा पीटीएम का आयोजन किया गया है?	(हाँ/नहीं)	
11	मेगा पीटीएम में भाग लेने वाले अभिभावकों की संख्या लिखें? (मेगा पीटीएम पंजीकरण अभिलेख के आधार पर दर्ज करें)	(हाँ/नहीं)	
12	समय चक्र में पठन कौशल एवं प्रभावशीलता हेतु कालांश निर्धारित किए गए हैं	(हाँ/नहीं)	
13	रीडिंग कैम्पेन साप्ताहिक कैलेण्डर के निर्देशानुसार गतिविधियों का नियोजन किया जा रहा है?	(हाँ/नहीं)	
14	कक्षा–कक्षीय साप्ताहिक गतिविधियों में एबीएल किट का उपयोग किया जा रहा है?	(हाँ/नहीं)	
15	दिशा–निर्देशानुसार बेसलाईन व मिडलाईन आकलन किया गया है?	(हाँ/नहीं)	
16	बेस लाईन आकलन के दस्तावेज संधारित कर पोर्टल पर प्रविष्टी की गई है	(हाँ/नहीं)	
17	विद्यार्थियों के पठन कौशल की प्रवाहशीलता पर पर्याप्त अभ्यास कराया जा रहा है?	(हाँ/नहीं)	
18	निर्देशानुसार विद्यार्थियों को अभ्यास कार्य करवाया जा रहा है?	(हाँ/नहीं)	
19	अवलोकन दिवस पर साप्ताहिक कार्ययोजनानुसार गतिविधियाँ नियोजित की जा रही है?	(हाँ/नहीं)	
20	विद्यार्थियों में पठन कौशलों की प्रवाहशीलता की स्थिति **(स्तरानुसार विषय वस्तु को पढ़वाकर लक्षित समूह के बालकों की संख्या दर्ज करें) का आकलन करें। (न्यूनतम 5 विद्यार्थी)**	**संख्या अंकित करें**	
	अक्षर/वर्ण पहचानने में कठिनाई महसूस होती है।		
	भाषा के सरल शब्दों को भी पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है।		
	अटक–अटक कर पढ़ते हैं।		
	समझ के साथ नहीं पढ़ पा रहे हैं।		
21	पठन कौशल एवं प्रभावशीलता (रीडिंग कैम्पेन कार्यक्रम) के संचालन की समेकित स्थिति (√) करें। सामान्य/औसत [ ] औसत से अच्छा [ ] अच्छा [ ] उत्कृष्ट [ ]	-	-
22	अन्य कोई सुझाव		

हस्ताक्षर संस्थाप्रधान

हस्ताक्षर अवलोकनकर्ता

नोट– अवलोकन के उपरान्त प्रपत्र की कार्बन कॉपी संस्थाप्रधान को उपलब्ध करवाए।

RajKaj Ref No.: 7724813
eSign DSC

Signature Not Verified

Digitally Signed by Anupama Jorwal
Designation : State Project Director
Date :20-08-2025 10:11:52

RajKaj Ref No.: 17248131
eSign DSC